बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150646 पटना, दिनांक 03/06/2013

ग्रा.वि.-5/इं.आ.यो. (II वि.अभि.)-102-14/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी /
सभी उप विकास आयुक्त
बिहार ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना में द्वितीय किस्त की विमुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

वर्ष 2012-13 एवं इसके पूर्व स्वीकृत इंदिरा आवास योजना में लिंटल स्तर तक की प्रगति हो जाने के उपरांत द्वितीय किस्त की राशि देय है । वर्ष 2013-14 में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए द्वितीय किस्त की पात्रता हेतु छत की ढलाई को अनिवार्य कर दिया गया है ।

2. पूर्व में विभागीय पत्रांक 131647 दिनांक 10.12.12 के द्वारा द्वितीय / अग्रेतर किस्त की सहायता राशि के भुगतान हेतु सप्ताह में एक दिन शिविर के माध्यम से करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं ।

3. कुछ ऐसे दृष्टांत प्रतिवेदित हुए हैं जिनमें आवेदकों को द्वितीय किस्त की पात्रता हासिल करने के बावजूद भी लंबे समय तक राशि का भुगतान नहीं हो पाता है ।

4. वर्तमान में प्रखंडों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह ऑकलन हो सके कि किस लाभान्वित का कितने दिन तक पात्रता के बावजूद भुगतान लंबित रहा है । इस हेतु व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है । आने वाले समय में RTPS काउंटर की तर्ज पर ऐसी व्यवस्था किए

जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तब तक निम्नवत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाय :-

(i) प्रत्येक प्रखंड में एक काउंटर बनाया जाय, जिसमें इंदिरा आवास योजना के द्वितीय किस्त के आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त किए जाएं । साथ ही साथ आवेदकों को विहित प्राप्ति रसीद दी जाय, जिसमें क्रम संख्या और प्राप्ति की तिथि रहेगी ।

(ii) इन आवेदनों को निम्नलिखित प्रपत्र में एक पंजी में पंजीकृत किया जाय :-

क्र. सं.	लाभुक का नाम	पिता/ पति का नाम	पता (वार्ड/ ग्राम / पंचायत)	योजना संख्या/ वर्ष	आवेदन की तिथि	क्या आवेदन के साथ आवास का फोटो संलग्न है? हाँ / नहीं	आवेदन पत्र को पंचायत सचिव/वसुधा केन्द्र के प्रभारी/फोटोग्राफी करने वाले अन्य सेवा प्रदाता / सत्यापन पदा0 को सत्यापन हेतु दिए जाने की तिथि	पंचायत सचिव/वसुधा केन्द्र के प्रभारी/ फोटोग्राफी करने वाले अन्य सेवा प्रदाता / सत्यापन पदा0 के द्वारा प्रतिवेदन देने की तिथि	हस्तांतरित की गयी राशि	राशि हस्तांतरण की तिथि	एडवाईस संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(iii) आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ संलग्न करने पर वसुधा केन्द्र / प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दोबारा फोटोग्राफी की अनिवार्यता नहीं रहेगी । ऐसे मामलों में सत्यापन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया प्रतिवेदन मान्य होगा ।

5. द्वितीय किस्त की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से द्वितीय किस्त दिलायी जाय । वरीय उप समाहर्त्ताओं के प्रखंड निरीक्षण के क्रम में वे इस पंजी के संधारण की स्थिति का अवश्य अवलोकन करेंगे ताकि पात्र परिवारों को समय पर द्वितीय किस्त का भुगतान हो सके ।

विश्वासभाजन

1/6/12

(अमृत लाल मीणा)

सचिव